

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492 002

-- आदेश --

रायपुर, दिनांक 6/08/2015

क्रमांक/11892/एफ-8/89/PMFBY/2016-17/14-2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के दिशा-निर्देशिका में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार विभिन्न प्राकृतिक विपदाओं से होने वाले फसल क्षति के मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु गठित जिला स्तरीय संयुक्त समिति की सहयोगी के रूप में निम्नानुसार तहसील स्तरीय संयुक्त समिति का गठन करती है :-

1	तहसीलदार	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	सदस्य
3	चयनित बीमा कंपनी के तहसील स्तरीय अधिकारी	सदस्य
4	दो नामांकित कृषक प्रतिनिधि *	सदस्य

* कृषक प्रतिनिधियों के नामांकन हेतु आदेश राज्य शासन स्तर से पृथक से जारी किया जाएगा।

तहसील स्तरीय संयुक्त समिति का मुख्य कार्य एवं जवाबदेही निम्नानुसार होगी:-

1. यह समिति जिला स्तरीय संयुक्त समिति के सहयोगी समिति के रूप में कार्य करेगी।
2. योजना के मार्ग-दर्शिका में उल्लेखित फसल क्षति आंकलन की प्रक्रिया के अनुसार फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों में प्राकृतिक विपदा की परिस्थितियों में होने वाले नुकसान जैसे **mid season adversity**, फसल कटाई पश्चात् होने वाली क्षति तथा स्थानीय आपदाओं से होने वाली क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति निर्धारण करेगी।

क्षति के आंकलन हेतु प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण/निरीक्षण करेगी।

4. योजना के प्रावधान अनुसार उपरोक्त परिस्थितियों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/दावा भुगतान नियत तिथि में करने हेतु जिला स्तरीय संयुक्त समिति को सहयोग करेगी।

यह समिति उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्ग-दर्शिका में उल्लेखित अन्य कार्य तथा शासन स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सी.पेकरा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

